दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 05.02.2024
निर्णय उदघोषित : 06.05.2024

सि.वि.(मु.) 213/2024, सि.वि.आ. 6704/2024–स्थगन

राजेश धमीजा और अन्य .....याचिकाकर्ता

द्वारा: अधिवक्तागण,सुश्री वर्तिका शर्मा श्री मयूर श्रीवास्तव और श्री कुणाल गोस्वामी,

बनाम

इंद्र कुमार धमीजा और अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री सोनाली मल्होत्रा, प्रत्यर्थी 1 के लिए अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शैलिंदर कौर

<u>निर्णय</u>

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-02, उत्तर पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा सि.वा. जि.न्या. 579051/2016 के तहत पारित दिनांक 27.01.2024 के आदेश को

चुनौती देती है, जिसका शीर्षक "इंदर कुमार धमीजा बनाम विद्या धमीजा और अन्य" है जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सि.प्र.सं.") की धारा 151 के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया और साथ ही सि.प्र.सं. के आदेश XVIII नियम 17 के साथ सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता प्रतिवादी हैं और प्रत्यर्थी सं. 1 विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी है।

2. प्रत्यर्थी सं. 1 ने यहां अपने पिता और सौतेली मां के बीच बेनामी लेनदेन के दावे के तहत विभाजन के लिए एक वाद दायर किया। यह प्रत्यर्थी सं.1 का मामला है कि उसके पिता ने स्व-अर्जित संपत्ति सं. एएच -70, शालीमार बाग, दिल्ली को बेच दिया था और उसके पिता ने याचिकाकर्ता सं. 2 के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं.1 की सौतेली मां के नाम पर बेनामी लेनदेन के माध्यम से सं . एपी -47, शालीमार बाग, दिल्ली की एक और संपत्ति खरीद ली थी।

3. वाद के दौरान, एक बार जब प्रतिवादी सं. 1/वादी ने अपने साक्ष्य दायर कर दिए और उस साक्ष्य को पूरे कर लिए, तो याचिकाकर्ता सं. 2/प्रतिवादी सं. 2 ने अपना साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढाया, जो उसी दिन पूरा हो गया। सुनवाई की अगली तिथि, यानी दिनांक 04.10.2023 को, इसमें शामिल नए अधिवक्ता ने सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसमें कहा गया था कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम,

1988 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत वाद वर्जित था, जिसे उसी तिथि को खारिज कर दिया गया था।

4. एक नए अधिवक्ता को फिर से नियुक्त करने पर, अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं को न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर करने की सलाह दी। उक्त आवेदन का निस्तारण दिनांक 08.12.2023 के आदेश द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रतिवादी के साक्ष्य बंद कर दिए गए।

5. इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक और नए अधिवक्ता को नियुक्त किया और दो आवेदनों को प्राथमिकता दी; साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए प्रतिवादी सं. 3 के अधिकार को बंद करने के संबंध में दिनांक 08.12.2023 के आदेश की समीक्षा/संशोधन के लिए सीपीसी की धारा 151 के तहत सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत एक आवेदन और प्रतिवादी सं. 3 की ओर से आगे की जांच के लिए वादी को वापस बुलाने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XVIII नियम 17 के तहत एक आवेदन।

6. 16.01.2024 को, आवेदन पर दलीलें सुनी गईं और 27.01.2024 को, आक्षेपित आदेश के तहत, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त दोनों आवेदनों को 10,000/- रुपये की लागत से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि ये

आवेदन तुच्छ हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई टालमटोल की रणनीति थी।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता सुश्री वर्तिका शर्मा ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता भारत में नहीं रहते हैं और अपने अधिवक्ता की सलाह पर निर्भर थे, इसलिए विचारण न्यायालय ने यह देखने में गलती की है कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता को बदलकर और तुच्छ आवेदन दायर करके टालमटोल की रणनीति अपना रहे थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया है।

8. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने साक्ष्य के साथ फाइल किए जाने वाले कुछ दस्तावेजों की सराहना नहीं की और मामले में देरी के पूर्वाग्रहपूर्ण तर्क के साथ आवेदन को खारिज कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने सि.वि.(मु.) 306/2022 में ***दीपक बनाम रमेश सेठी*** शीर्षक वाले मामले पर भरोसा किया।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सुश्री सोनल मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश किसी भी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने का पर्याप्त अवसर दिया था, हालांकि, नए अधिवक्ता को नियुक्त करने में

याचिकाकर्ताओं के आचरण के कारण, ऐसा नहीं किया जा सका। विद्वान अधिवक्ता ***शशि सहदेव बनाम नरेंद्र कुमार शर्मा*** [2022 क़ानूनी वाद (डेल) 1799] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

10. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता सं. 1 और 3 के पिता के बैंक खातों को पेश नहीं करने के कारण पूरे मामले में देरी की है, ताकि संपत्ति सं.एपी-47, शालीमार बाग, दिल्ली की खरीद के लिए धन का स्रोत स्थापित किया जा सके ।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता सं. 1 को मामले में गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति दी जाए और साक्ष्य हलफनामे के साथ, याचिकाकर्ता सं. 1 कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाना चाहता है, जो न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि सि.प्र.सं. के आदेश VIII नियम 1क के प्रावधानों के तहत, पक्षकारों को लिखित बयान के साथ उन सभी दस्तावेजों को दर्ज करना आवश्यक है जो उनकी शक्ति और कब्जे में हैं, जो कि याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, इस स्तर पर याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पर नए दस्तावेज पेश नहीं कर सकते हैं।

12. जाहिर है, प्रत्यर्थी सं. 1 ने संपत्ति संख्या एपी -47, शालीमार बाग, दिल्ली के संबंध में विभाजन, घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया

है, जिसमें याचिकाकर्ता सं. 1 को प्रतिवादी सं. 2 के रूप में पेश किया गया है, उसकी मां यानी याचिकाकर्ता सं. 2 प्रतिवादी सं. 2 है और उसकी बहन यानी याचिकाकर्ता सं. 3 प्रतिवादी सं. 3 है।

13. उपरोक्त के अलावा, दो और प्रतिवादी हैं, अर्थात डॉ. अशोक धमीजा, जिन्हें प्रतिवादी सं. 4 के रूप में पेश किया गया है और श्रीमती रीना खुराना, जिन्हें प्रतिवादी सं.5 के रूप में पेश किया गया है। सभी प्रतिवादियों द्वारा वाद लड़ा गया है और लिखित बयान दायर किए गए हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने 30.03.2017 को पक्षों की दलीलों पर मुद्दों को तैयार किया और मामले को वादी/प्रत्यर्थी सं. 1 के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पोस्ट किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गवाहों की सूची दाखिल की गई तथा उन्होंने मुख्य परीक्षण की रिकॉर्डिंग के संबंध में अपना साक्ष्य हलफनामा भी दाखिल किया। प्रतिवादियों की ओर से उनकी जिरह की गई तथा 23.03.2018 को समाप्त हुई। प्रतिवादियों की ओर से उनकी जिरह आयोजित की गई और 23.03.2018 को समाप्त हुई। इसके अलावा प्रत्यर्थी सं. 1 ने भारतीय स्टेट बैंक के कुछ आधिकारिक गवाहों से भी पूछताछ की। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता सं. 1, श्री राजेश धमीजा के साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XVIII नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसके लिए एक नया साक्ष्य हलफनामा रिकॉर्ड पर रखा गया है।

उन्होंने याचिकाकर्ता सं. 2 श्रीमती विद्या धमीजा के कुछ दस्तावेजों यानी आयकर रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखने की अनुमति भी मांगी।

14. कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता सं. 3 की ओर से रिकॉर्ड पर उपरोक्त अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं. 1 से याचिकाकर्ता सं. 3 की ओर से 23.03.2018 को जिरह की गई है। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी सं. 1 को फिर से विटनेस बॉक्स में लाने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया है।

15. सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XVIII नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत आगे की जिरह के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 को नए सिरे से बुलाने के अपने दावे को सही ठहराने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने एक दलील दी है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने साक्ष्य को समाप्त करने में काफी समय लिया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थी सं.1 से आगे जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी सं. 1 का साक्ष्य पहले बंद कर दिया गया था और बाद में, प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने साक्ष्य को फिर से खोल दिया, जिसे दिनांक 29.05.2021 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी और अंततः इसे 21.11.2022 को बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की दलील यह है कि इसके साक्ष्य को बंद करने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने एक अन्य अधिवक्ता से नई सलाह ली और इस प्रकार,

प्रमाणित प्रतियों के माध्यम से जाने के बाद नए अधिवक्ता के रूप में प्रत्यर्थी सं. 1 की आगे की जिरह के लिए एक आवेदन दायर किया, यह राय थी कि प्रतिवादी सं.1 से जिरह करते समय मामले के आवश्यक पहलुओं को नहीं उठाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि मुद्दों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 से ऐसी जानकारी की आवश्यकता थी।

16. कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने उन सवालों का खुलासा नहीं किया है जो प्रत्यर्थी सं. 1 के सामने अपनी आगे की परीक्षा के दौरान रखने की जरूरत थी और याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अस्पष्ट आवेदन दायर किया गया है जिसमें विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 1 की आगे की जिरह की मांग की गई है। इस न्यायालय के समक्ष भी, याचिकाकर्ता ने तीन प्रश्न उठाए हैं, जिनके बारे में वह प्रत्यर्थी सं. 1 से आगे जिरह करना चाहता है, जो इस प्रकार हैं: -

> *""i. इंद्र कुमार धमीजा (मुकदमे में वादी) की सौतेली माँ / श्रीमती विद्या धमीजा का उपहार विलेख और वसीयत इंद्र कुमार धमीजा को कैसे प्राप्त हुई, जबकि वह हमेशा विद्या धमीजा और उनके बच्चों के कब्जे में थी?*
>
> ii. *श्रीमती विद्या धमीजा का उपहार विलेख और वसीयत न्यायालय के समक्ष अभि.सा.*1/11 *और अभि.सा.*1/12 *के रूप में कैसे प्रदर्शित किया गया और उसे चिह्नित नहीं किया गया, विशेषकर जब मूल हमेशा श्रीमती विद्या धमीजा और उनके बच्चों के कब्जे में थे?*
>
> *iii. इंद्र कुमार धमीजा (मुकदमे में वादी) को बेनामी लेनदेन के बारे में किसने और कब बताया?*

17. पूछे जाने वाले प्रस्तावित प्रश्न समान रूप से अस्पष्ट हैं, विशेष रूप से क्रम सं. (ii) और (iii) पर प्रश्न पूछे जाने पर।

18. शशि सहदेव बनाम नरेंद्र कुमार के ***मामले में इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ द्वारा कानून की स्थिति स्पष्ट की गई है शर्मा*** (पूर्वोक्त), जो निम्नानुसार है: -

> *"13. परिणामी कानूनी स्थिति यह है कि, चाहे सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश XVIII नियम 17 या आदेश XVIII नियम 17 के तहत, एक पक्ष को आगे का परीक्षण या जिरह के लिए एक गवाह को वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है यदि (i) कोई संदेह मौजूद है, उक्त गवाह के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बाद शेष जो पहले ही हो चुका है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है या (ii) गवाह के साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद, वापस बुलाने की मांग करने वाले पक्ष को ऐसे सबूत मिले हैं जिन पर वह पहले हाथ नहीं रख सका था, या (iii) दूसरे पक्ष के आचरण या कार्रवाई के संबंध में सबूत अस्तित्व में आ गया है।*
>
> *14. राम रति 11 में निर्णय यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि गवाह को वापस बुलाने की अनुमति गवाह द्वारा पहले से ही पेश किए गए साक्ष्य में चूक को भरने के लिए, या गवाह के साक्ष्य में किसी भी कमी या चूक को भरने के लिए नहीं दी जानी चाहिए जो पहले ही दर्ज की जा चुकी है।*
>
> *15. जिस आधार पर याचिकाकर्ता ने आदेश XVIII नियम 17 के तहत अपने आवेदन में आगे की जिरह के लिए अभि.सा.-2 को वापस बुलाने की मांग की है, वह स्पष्ट रूप से जिरह के दौरान दर्ज अभि.सा.-2 के साक्ष्य में कमी या चूक को भरने की परिकल्पना करता है। विद्वान अति.जि.न्या. ने यह भी सही ढंग से देखा है कि जिस एकमात्र आधार पर उक्त दलील दी गई है, वह यह है कि पहले के वकील जो मामले में*

अभियोजन कर रहे थे, अनजाने में कुछ सवाल पूछने में विफल रहे, जो बाद में मामले को संभालने वाले अधिवक्ता के अनुसार प्रासंगिक थे। यदि ऐसे अनुरोधों को समायोजित किया जाता है, तो इससे मामलों में अंतहीन देरी होगी और कार्यवाही का शीघ्र निपटान विफल हो जाएगा।

19. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी सं. 1 का साक्ष्य 23.03.2018 को समाप्त हो गया था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व पूरे मुकदमे के दौरान एक आम अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा, अचानक, याचिकाकर्ता सं. 1 ने अपने अधिवक्ता को बदल दिया और नए अधिवक्ता के माध्यम से आदेश VII नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने 23.03.2018 से प्रत्यर्थी सं. 1 यानी अभि.सा. -1 की आगे की जिरह के लिए आवेदन नहीं करने के किसी ठोस कारण का खुलासा नहीं किया है। इसलिए, किसी भी वैध कारण के अभाव में, प्रत्यर्थी सं. 1 की आगे की जिरह की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे मामले की कार्यवाही में देरी होगी। इसलिए, सि.प्र.सं. के आदेश XVIII नियम 17 के तहत आवेदन को खारिज करने की तुलना में दिनांक 27.01.2024 के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के बारे में याचिकाकर्ताओं के अन्य प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के लिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही

से यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता प्रतिवादी के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे, तो प्रत्यर्थी सं. 1 ने बीच में दो आवेदन प्रस्तुत किए थे, एक आदेश XVIII नियम 17 सीपीसी के तहत और दूसरा आदेश XI नियम 2 और 14 सि.प्र.सं. के तहत। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदनों को अनुमति दी गई और मामला वादी के साक्ष्य के चरण में चला गया और अंततः वादी के साक्ष्य को 21.11.2022 को बंद कर दिया गया, इसलिए, यह केवल इस बात का अनुसरण करता है कि याचिकाकर्ताओं को प्रभावी रूप से बचाव में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका मिला।

21. दिनांक 26.05.2023 को, एक गवाह यानी प्र.सा.-1 की जांच की गई और मामले को 04.10.2023 को प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया गया, जिस तिथि को, याचिकाकर्ता ने आदेश VII नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन दायर किया था, लेकिन बचाव में अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए कोई साक्ष्य हलफनामा दायर नहीं किया। आवेदन 04.10.2023 को खारिज कर दिया गया था और मामला 08.12.2023 को प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए पोस्ट किया गया था, जिस तिथि को प्रतिवादी के साक्ष्य बंद कर दिए गए थे।

22. निस्संदेह, याचिकाकर्ता सं. 1 को मेहनती होना चाहिए था और रिकॉर्ड पर अपना साक्ष्य हलफनामा दायर करना चाहिए था, हालांकि, न्याय के हित में, याचिकाकर्ता सं.1 को प्रतिवादी के साक्ष्य को विद्वान विचारण न्यायालय के

समक्ष पहले से तय तारीख या उसके बोर्ड के अनुसार, किसी अन्य तिथि को विद्वान विचारण न्यायालय में ले जाने का एक अवसर दिया जाता है।

23. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 08.12.2023 और 27.01.2024 के आक्षेपित आदेशों को संशोधित किया जाता है और इस हद तक अलग रखा जाता है कि याचिकाकर्ता सं. 1 को अपने पूरे बचाव साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाता है, जो याचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा सुनवाई की अगली तिथि पर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी को 25,000/- रुपये की लागत के अधीन है। परिणामस्वरूप, लंबित आवेदन के साथ याचिका का निपटान किया जाता है।

न्या. शलिंदर कौर

मई 06, 2024/एसएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*